प्रेषक,

संजय कुमार उपाध्याय,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान,
गोमतीनगर, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 24 अगस्त, 2017

विषयः- 200 शैय्यायुक्त "मातृ एवं शिशु चिकित्सालय" के संचालन हेतु गैर शैक्षणिक पदों के सृजन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-4893/Estb(Gen)/RMLIMS/2017, दिनांक 27 मार्च, 2017 का कृपया सन्दर्भ लेने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, गोमतीनगर लखनऊ के अधीन गोमतीनगर विस्तार में स्थित नवीन परिसर के समीप 200 शैय्यायुक्त "मातृ एवं शिशु चिकित्सालय" के संचालन हेतु गैर शैक्षणिक संवर्ग के 120 पदों, जिनका उल्लेख संलग्नक-1 में किया गया है, को अस्थायी रूप से दिनांक 28-2-2018 तक के लिए, बशर्ते इन पदों को इससे पूर्व बिना किसी सूचना के समाप्त न कर दिया जाय, सृजित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय द्वारा निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है:-

1. सृजित किये जा रहे पदों के संबंध में बतायी गयी आवश्यकता एवं मानक/शैक्षिक अर्हता/भर्ती का स्रोत आदि के संबंध में पूर्ण उत्तरदायित्व संस्थान का होगा।
2. पदों पर भर्ती/नियुक्ति की कार्यवाही निर्धारित व्यवस्था/नियमों के अनुसार सुनिश्चित की जायेगी।
3. प्रश्नगत पदों पर भर्ती वास्तविक आवश्यकता होने पर क्रमिक रूप से सुनिश्चित की जायेगी।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के लेखाशीर्षक ''2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-03-शिक्षा-0325-डा0 राममनोहर लोहिया इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, गोमतीनगर, लखनऊ-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)'' के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3/1006/दस/2017, दिनांक 14 अगस्त, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(संजय कुमार उपाध्याय)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-56/2017/1110(1)/71-2-17-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1) महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2) प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0।
3) प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0।
4) प्रमुख सचिव, चिक्तिसा स्वास्थ्य एवं परिवार विभाग, उ0प्र0 शासन।
5) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0।
6) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
7) वित्त अधिकारी, डा0रा0म0लो0 आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
8) वित्त ई-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (वे0आ0-1/वित्त (आय-व्ययक)-1
9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नीलेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-56/2017/1110/71-2-17-आर0एम-14/2016, दिनांक 24 अगस्त, 2017 का संलग्नक।

क्र0	पदनाम	पदों की संख्या	पे-बैण्ड/ ग्रेड पे	शैक्षिक अर्हता/भर्ती की विधि
1	नर्सिंग सुपरिटेन्डेंट	01	वेतन बैण्ड-3, रू0 15600-39100/6600	एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ के समान।
2	डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेन्डेंट	01	वेतन बैण्ड-3, रू0 15600-39100/5400	
3	असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेन्डेंट	02	वेतन बैण्ड-3, रू0 15600-39100/5400	
4	सिस्टर ग्रेड-1	25	वेतन बैण्ड-3, रू0 9300-34800/4800	
5	सिस्टर ग्रेड-2	80	वेतन बैण्ड-3, रू0 9300-34800/4600	
6	टेक्नीशियन ग्रेड-2	10	वेतन बैण्ड-3, रू0 5200--20200/2800	
7	पब्लिक रिलेशन आफीसर	01	वेतन बैण्ड-3, रू0 15600-39100/5400	
	योग-	120		

आज्ञा से,

(नीलेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।